इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2019—कार्तिक 3, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं. (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 1-3-2004-4823-2019-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 (क्रमांक 16 सन् 2001) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपतियों की सहमति से, एतद्द्वारा, निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अधीन मामलों के निपटारे के प्रयोजन के लिए राज्य के प्रत्येक सेशन खंड के सेशन न्यायालय/अतिरिक्ति सेशन न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करता है. यह अधिसूचना इस संबंध में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

F. No. 1-3-2004-4823-2019-XXI-B(1).—In excrcise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Madhya Pradesh Nikshepakon ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam, 2000 (No 16 of 2001),the State Governmnent with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, designates Courts of Session Judge/ Additional Sessions Judge in each Session Division of the State as Special Court for the purpose of disposal cases under Madhya Pradesh Nikeshepakon Ke Hiton Ka Sanrakshan Adhiniyam.

This Notification is being issued in supersession of all its earlier Notification(s) issued in this regard.